राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ.1सीसी/स्वाकापु/2019/190 दिनांक : 12/2/19

आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, चलपीठ जोधपुर द्वारा अपील संख्या 485/2000 श्री बरकत अली पुत्र श्री चांद अली एवं अन्य तीन (जब्बर सिंह पुत्र श्री जालम सिंह राजपूत, भीमसिंह पुत्र श्री लालसिंह राजपूत, जब्बर सिंह पुत्र श्री रावत सिंह) बनाम निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.5.2011 के द्वारा अपीलार्थियों के संबंध में जारी विवादित आदेश दिनांक 8.3.1995 एवं 19.6.1995 को अपास्त करते हुए आदेश दिनांक 25.11.1992 को यथावत रखने के निर्देश दिये है।

अतः उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया), पाली के आदेश क्रमांक 394 दिनांक 8.3.1995 एवं क्रमांक 497 दिनांक 19.6.1995 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर निदेशालय के आदेश क्रमांकः अराज/एसएमपीडब्ल्यू/च.वे.श्रृं./92/1198 दिनांक 25.11.1992 द्वारा उपरोक्त अपीलार्थियों की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत की गई चयनित वेतन श्रृंखला 1640–2900 को यथावत/पुर्नस्थापित की जाती है। स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

उक्त आदेश अवमानना याचिका संख्या 1/2013 श्री बरकत अली पुत्र श्री चांद अली एवं अन्य तीन (जब्बर सिंह पुत्र श्री जालम सिंह राजपूत, भीमसिंह पुत्र श्री लालसिंह राजपूत, जब्बर सिंह पुत्र श्री रावत सिंह) बनाम निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.1.2019 के परिपेक्ष्य में जारी किये जाते है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमशः पेज 2 .....

क्रमांकःएफ.1सीसी / स्वाकापु / 2019 / 190 दिनांक : 12/2/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण), मुख्यालय।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को उनके आदेश क्रमांक प.2( ) चिस्वा / विधि / 12 / 1231 दिनांक 14.5.2012 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि वर्तमान में सीधी भर्ती से नियुक्त एवं समायोजित/आमेलित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष/एमपीडब्ल्यू को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पुर्नरीक्षित वेतनमान 1989 के अन्तर्गत 27 वर्षीय चयनित वेतन श्रृंखला 1640–2900 स्वीकृत योग्य है, इसलिये इस प्रकरण में पूर्व में लिये गये अपील के निर्णय के स्थान पर नो अपील के निर्णय का विनिश्चय करवाने का श्रम करावें।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाली एवं केस अधिकारी प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि माननीय अधिकरण में राजकीय पक्ष रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते संबंधित अधिकारी को ई–मेल व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतुं।
8. संबंधित अपीलार्थियों को द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाली जिला पाली।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर